

राजस्थान सरकार
निदेशालय, कोष एवं लेखा, राजस्थान, जयपुर

क्रमांक :- एफ3(ख)एस-2052/2013/अलेसे-III/277

दिनांक :- 17.02.2023

कार्यालय आदेश

श्रीमती सुमन देवी बढाणिया, सहायक लेखाधिकारी ग्रेड-II (लिनक नं. 12230) कार्यालय सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र, रियांबड़ी (नागौर) को निम्न परीक्षाओं में प्रविष्ट होने की स्वीकृति प्रदान की जाती है :-

- (1) एन.टी.ए. द्वारा आयोजित राष्ट्रीय पात्रता परीक्षा (यूजीसी-नेट) दिसम्बर 2022 विषय भूगोल।
- (2) गुरु गोविन्द सिंह जनजातीय विश्वविद्यालय, बांसवाड़ा द्वारा आयोजित राज्य पात्रता परीक्षा (सेट) 2023 विषय भूगोल।

उक्त स्वीकृति राजस्थान सिविल सेवा (आचरण) नियम 1971 के प्रावधानों एवं नियुक्ति आदेश में वर्णित शर्तों के अतिरिक्त निम्न शर्तों के अधीन होगी :-

- 1 विभाग की पूर्वानुमति प्राप्त किये बिना परीक्षा में सम्मिलित होने पर आपके विरुद्ध नियमानुसार अनुशासनात्मक कार्यवाही की जावेगी।
- 2 परीक्षा में सम्मिलित होने की अनुमति के अन्तर्गत परीक्षा दिवसों के अतिरिक्त अन्य कोई अवकाश स्वीकृत नहीं किया जावेगा।
- 3 उक्त स्वीकृति के कारण राजकीय कार्य सम्पादन में किसी प्रकार की बाधा/व्यवधान उत्पन्न होने पर यह स्वीकृति समाप्त कर दी जायेगी।
- 4 परीक्षा की तैयारी हेतु किसी प्रकार का अवकाश स्वीकृत नहीं किया जावेगा।
- 5 प्रशासनिक कारणों से उक्त स्वीकृति बिना किसी पूर्व सूचना के निरस्त की जा सकती है।



(भूपेश माथुर)

निदेशक एवं पदेन
संयुक्त शासन सचिव

क्रमांक :- एफ3(ख)एस-2052/2013/अलेसे-III/277

दिनांक :- 17.02.2023

प्रतिलिपि निम्नांकित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है :-

1. संबंधित विभाग/ कार्यालय
2. निजी सचिव, निदेशक महोदय।
3. उपनिदेशक (एसीपी) को विभागीय वेबसाइट पर अपलोड करने हेतु।
4. संबंधित कार्मिक


(के.जी.गुप्ता)

अति. निदेशक (कार्मिक-II एवं III)